इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. :3 अक्तूबर, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूी

मौद्रिक नीति ---------- ----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं---------- 3
विनियामकों के कथन / विदेशी मुद्रा ----------4
बीमा / सूक्ष्मवित्त ------ ----------5
नयी नियुक्तियां ----------6
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 6
बासेल -III - पूंजी विनियमन ---------- 6
बैंकिंग मामलों से सम्बन्धित कानून / वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं --------7
शब्दावली / संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की मध्य तिमाही समीक्षा - 20 सितम्बर, 2013

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की दर तात्कालिक प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 10.25% के स्थान पर 9.5% कर दी गई।

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) का न्यूनतम दैनिक रख-रखाव आवश्यकता के 99% से घटाकर 21 सितम्बर, 2013 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से घटा कर 95% कर दिया गया, जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया; और

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (रेपो) दर तात्कालिक प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ा कर 7.25% के स्थान पर 7.5% कर दी गई।

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति पुनर्खरीद (रेपो) दर 6.5 % पर समायोजित र खी गई है और बैंक दर तात्कालिक प्रभाव से घटाकर 9.5% कर दी गई है।

- थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, जो 2013-14 की पहली तिमाही में कम हो गई थी, पुन: बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि ईंधन की कीमत में वृद्धियों का पारण (Pass-through) रुपये में तीव्र मूल्यह्रास तथा वस्तुओं की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण जटिल हो गया है। ऋणात्मक उत्पादन अंतर मुद्रास्फीति पर अधोमुखी दबाव बनाएगा तथा इस प्रक्रिया को सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि आपूर्ति पक्ष, विशेषत: खाद्य और मूलभूत सुविधा क्षेत्र में बाधाएं कम होंगी। हालांकि, वर्तमान आकलन यह है कि किसी उपयुक्त नीतिगत अनुक्रिया के अभाव में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति शेष वर्ष में प्रारंभिक तौर पर लगाए गए अनुमानों से अधिक होगी।

- कमजोर पड़ती घरेलू बचत, निर्यात की मंद मांग तथा तेल आयात के बढ़ते मूल्य - अभी हाल के दिनों में मध्य-पूर्व से उपजे भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण चालू खाते का अपेक्षाकृत भारी घाटा (CAD) पैदा हो गया है। अमरीकी फेडरल रिज़र्व द्वारा खरीदी गई आस्ति के प्रत्याशित क्षरण द्वारा प्रेरित पूंजी बहिर्वाहों द्वारा प्रवर्धित चालू खाते के घाटे के निधीयन से सम्बन्धित चिंताओं ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को बढ़ा दिया। निकट हाल के दिनों में चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने तथा विदेशी वित्तीयन हेतु वातावरण में सुधार लाने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के बाद चूंकि इन चिंताओं में कमी आई है, ध्यान का

केन्द्र रुपये के मूल्य को निर्धारित करने वाले आंतरिक तत्वों, मूलत: राजकोषीय घाटे एवं घरेलू मुद्रास्फीति पर स्थिर हो गया है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

शहरी सहकारी बैंकों पर दान देने से रोक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहाकारी बैंकों को ऐसे न्यासों एवं संस्थाओं को दान देने से निषिद्ध कर दिया है जिनमें निदेशक और / अथवा उनके सम्बन्धी पदों पर हो या फिर हित रखते हों। यह रोक पिछले वर्ष के बैंक के प्रकाशित लाभों के 1% तक की अनुमेय उच्चतम सीमा के भीतर सामान्य दानों पर भी लागू होती है। ऐसे दान, राष्ट्रीय निधियों और किसी वर्ष के दौरान केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्य / प्रायोजित अन्य निधियों के साथ मिलाकर पिछले वर्ष के बैंक के प्रकाशित लाभों के 2% से अधिक नहीं होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डालर - रुपया अदला-बदली सुविधा के उपयोग हेतु मानदंड जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 वर्ष और उससे अधिक की अधिकतम अवधि के लिए जुटाई गई नयी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक / विमुअनि) डालर निधियों के लिए अमरीकी डालर - रुपया अदला-बदली सुविधा आरंभ की है। उक्त अदला-बदली सुविधा 10 सितम्बर और 30 नवम्बर के बीच परिचालित रहेगी । जबकि अदला-बदली सुविधा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात आरआरबीज को छोड़कर) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए किसी भी अनुमत विदेशी मुद्रा में जुटाई गई नयी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए उपलब्ध होगी, वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अदला-बदली सुविधा केवल अमरीकी डालरों में ही उपलब्ध होगी। जहां उक्त सुविधा सभी कार्य दिवसों को दैनिक आधार पर परिचालित होगी, वहीं कोई विशिष्ट बैंक इस सुविधा का उपयोग सप्ताह में केवल एक बार ही कर सकता है। उक्त अदला-बदली व्यवस्था के अधीन कोई बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को 1 मिलियन के गुणजों में अमरीकी डालर बेच सकता है और उसके साथ ही अदला-बदली अवधि की समाप्ति के बाद उतनी ही रकम के अमरीकी डालर खरीदने पर सहमत हो सकता है। यह अदला-बदली 3.5% की नियत दर पर की जाएगी।

अब शहरी सहकारी बैंक मकान की मरम्मत हेतु अधिक उधार दे सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को उनकी रिहायशी इकाइयों की मरम्मत करने / उनमें परिवर्धन / परिवर्तन करने हेतु दिए जाने वाले ऋणों की उच्चतम सीमा बढ़ा दी है। ऐसे ऋणों से सम्बन्धित उच्चतम सीमा ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में 2 लाख रुपये (पूर्ववर्ती 1 लाख रुपये)

और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपये (पूर्ववर्ती 2 लाख रुपये) होगी। बढ़ाई गई सीमाओं के तहत मंजूर किए जाने वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकरण हेतु भी पात्र होंगे। आवासीय और वा णिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋणों पर शहरी सहकारी बैंकों की ऋण जोखिम (Exposure) सीमा उनकी कुल आस्तियों के 10% पर ही स्थिर है। व्यक्तियों को 25 लाख रुपये तक के ऐसे आवास ऋण मंूर करने हेतु इस उातम सीमा का अतिक्रमण कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5% द्वारा किया ाा सकता है, ानिका समावेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में होता हो।

डॉ. रघुराम राान द्वारा एक नयी राह अपनाने का वान

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल की शुरूआत ऐसे उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा करते हुए की है जिनसे बाज़ारों, बैंकों, कारपोरेट एवं गृहस्थों को प्रसन्नता होगी। प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक अब निर्यातकों एवं आयातकों को मूल्य की क्रमश: 50% और 25% की सीमा तक की वायदा विनिमय संविदाओं को पुन: बुक करने की अनुमति देगा। वर्तमान में केवल निर्यातकों को ही वैसा करने की अनुमति है, आयातकों को नहीं। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा के अंतर्वाहों को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों की अदला-बदली करने हेतु एक विशेष रियायती खिड़की खोलेगा। बैंकों को विदेशों से उनकी क्षतिरहित टियर-1 पूंजी का 100% उधार लेने की अनुमति होगी। इन उधार राशियों की भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रचलित अदला-बदली से 100 आधार अंक कम वाली दर पर अदला-बदली करने की अनुमति होगी। पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम्पनियों द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी इक्विटी धारक कम्पनी से 7-वर्षीय उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्थात् ईसीबी) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हालांकि, बाह्य वाणिज्यिक उधार सुविधा का लाभ विदेशी ऋणदाता द्वारा भारतीय कम्पनी की चुकता इक्विटी का न्यूनतम 25% धारित किए जाने की शर्त पर ही उठाया जा सकता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के मामले में निवल मालियत के 100% की वर्तमान सीमा के बजाय 400% की पूर्ववर्ती सीमा लागू होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार ऋण मानदंड शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशों से निधियां जुटाने के मानदंड शिथिल कर दिए हैं। अब सभी प्रकार की कम्पनियां पूंजीगत माल के आयात हेतु विदेशों से व्यापार ऋण सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। उपलब्ध अधिकतम व्यापार ऋण विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) द्वारा यथा-वर्गीकृत पूंजीगत माल के आयात हेतु अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर होगा। इसके पूर्व केवल मूलभूत सुविधा क्षेत्र में संलग्न कम्पनियों को ही इस प्रकार के व्यापार ऋण जुटाने की अनुमति थी। इसके अलावा, सभी व्यापार ऋणों के लिए 15 माह की अवधि वाली आदित: संविदा को घटा कर छ: माह कर दिया गया है।

शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक की हैसियत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 750 करोड़ की कुल जमाराशियों वाले शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक की श्रेणी में श्रेणीकृत किए जाने की अनुमति दे दी है। यदि शहरी सहकारी बैंक कुछेक सूचीबद्ध मानदंड पूरे करते हैं, तो वे दूसरी अनुसूची में समावेश के पात्र होंगे। सभी सार्वजनिक श्रेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक दूसरी अनुसूची के अंग हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2013 से केवल वही प्राथमिक सहकारी बैंक जिनकी निवल मांग एवं सावधि देयताएं (NDTL) 750 करोड़ रुपये से कम न हों भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसची में शहरी सहकारी बैंकों के समावेश के लिए पात्र 'वित्तीय संस्था' माने जाएंगे। उक्त अनुसूची में समावेश के इच्छुक शहरी सहकारी बैंकों को पिछले तीन वर्षों से निरंतर निवल लाभ, 12% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात और 5 प्रतिशत से कम की निवल अनर्जक आस्तियों सहित कुछेक अन्य मानदंड पूरे करने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवासी निवेशकों के लिए मानदंडों को शिथिल किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवासी निवेशकों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों के शेयर शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे निवेशों की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब अनिवासी निवेशक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के शेयरों के पर्याप्त अभिग्रहण एवं अधिग्रहण विनियमों के अनुसार उन्हें पहले खरीद रखा हो तथा उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा हो।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंक टियर-1 शहरों में शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं

बैंकों को टियर-1 शहरों में प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना शा खाएं खोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है। हालांकि, यह स्वतंत्रता कोई बैंक बैंक रहित या अल्प बैंक स हित केन्द्र में तिनी संख्या में शाखाएं खोलेगा उसकी तुलना में सशर्त है। टियर-1 केन्द्र में खोली गई शाखाओं की संख्या टियर-II से लेकर टियर-VI तक के केन्द्रों में तथा उत्तर-पूर्वी रायों और सिक्किम में खोली गई शाखाओं की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। इसीप्रकार, जो बैंक वित्त वर्ष के दौरान टियर-II से लेकर टियर-VI तक के केन्द्रों में शाखाएं खोलने में असमर्थ हैं, उन्हें अगले वित्त वर्ष में इस कमी को आवश्यक रूप से सुधारना होगा। पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त किए बिना टियर-II से लेकर टियर-VI तक के केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति थी।

5 वर्ष के बाद आधार दर कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि आधार दर कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिये जाने के बाद उसका पुनरीक्षण करने हेतु बैंकों के लिए उसका अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होगा। आधार दर वह न्यूनतम दर है जिस पर कोई बैंक उधार दे सकता है। इसका निहितार्थ यह है कि कोई बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर 2015 के बाद इस कार्यप्रणाली में संशोधन पर विचार कर सकेगा।

सुरक्षात्मक विशेषताओं के अभाव में कार्ड से सम्बन्धित धोखाधड़ी की लागत बैंक को वहन करनी होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ऐसे बिक्री केन्द्रों (POS) के माध्यम से किये गये कपटपूर्ण कार्ड लेनदेनों की लागत बैंकों को वहन करनी होगी जिनमें निर्धारित सुरक्षात्मक विशेषताएं मौजूद नहीं हैं। इस संदर्भ में यदि कोई कार्डधारक 30 सितम्बर, 2013 के बाद भारत में घटित किसी बिक्री केन्द्र में कपटपूर्ण लेनदेन के लिए कार्ड जारीकर्ता बैंक से संपर्क करता है, तो बैंक को उस ग्राहक को उसके द्वारा भुगतान की गई रकम का दावा उस सम्बन्धित बैंक से करना चाहिए जिसने संदर्भाधीन ि बक्री केन्द्र लेनदेन को अभिगृहीत किया था। कार्ड जारीकर्ता बैंक कार्डधारक के बैंक से संपर्क करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर इस बात का पता लगाएगा कि सम्बन्धित बिक्री केन्द्र टर्मिनल ने अनिवार्य सुरक्षात्मक विशेषताओं का पालन किया है अथवा नहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण सीमाओं के सम्बन्ध में उधारकर्ताओं को राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उधारकर्ताओं की निर्यात ऋण सीमाओं का परिकलन इस प्रकार करने का निदेश दिया है कि निर्यातक मूल्यह्रासित हो रहे रुपये से बचे रहें। बैंक उनकी आंतरिक उधारदायी नीति के अनुसार निर्यात ऋण सुविधाएं रुपये और उसके साथ ही विदेशी मुद्रा में भी प्रदान करते हैं। जबकि समग्र ऋण सीमाएं रुपये में निर्धारित की जाती हैं, उक्त ऋण सुविधा का विदेशी मुद्रा घटक प्रचलित विनिमय दरों पर निर्भर करता है। हाल के महीनों में रुपये के कमजोर पड़ने के प रिणामस्वरूप निर्यात ऋण का अप्राप्त विदेशी मुद्रा घटक निर्यातकों के लिए कम हो गया था। और य दि विदेशी मुद्रा घटक लिया गया होता था, तो उसका रुपये में मूल्य की दृष्टि से अधिक मूल्य पर पुनर्मूल्यन किया जाता था। निर्यातकों से उनके ऋण जोखिम को आंशिक भुगतान द्वारा घटाने के ि लए कहा जाता था। निर्यात ऋण सीमा के पूर्णत: संवितरित न होने पर उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होने वाली ऋण सीमा घट जाती थी तथा निर्यातक निधियों से वंचित रह जाते थे। भारतीय ि रज़र्व बैंक का सुझाव यह है कि बैंकों को समग्र निर्यात ऋण सीमा की गणना चालू आस्तियों, देयताओं एवं विनिमय दरों की वर्तमान स्थिति तथा विदेशी मुद्रा में ऋण के आधार पर निरंतर (यथा मासिक) आधार पर करनी चाहिए और सीमा को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के रूप में पुनराबंटित करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निर्यात ऋण के विदेशी मुद्रा घटक के रुपया समतुल्य में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

महिला बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति उपयोग भुगतान मॉडेल की व्यवस्था होगी

देश का प्रथम महिला बैंक होना ही एकमात्र वह कारक नहीं है जो भारतीय महिला बैंक को अन्य ऋणदाताओं से अलग कर देता है। यह प्रति उपयोग भुगतान प्रणाली- जो किसी भारतीय बैंक द्वारा पहली बार लागू की जा रही है, प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधा मॉडेल अपनाते हुए दिशा-दाता बनने के ि लए तत्पर है। शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार चयनित सेवा-प्रदाता पूरे बैंक के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का स्वामी होगा तथा उसे प्रति शाखा प्रति माह के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

बैंक के ग्राहक सेवा कार्यपालक के साथ बात अब एक प्रदत्त सेवा

बैंकों के काल सेंटरों को फोन करने वाले तथा उन मुद्दों के बारे में जिनका निराकरण रिकार्डबद्ध विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है, ग्राहक सेवा कार्यपालक के साथ बात करना पसंद करने वाले ग्राहकों को अब उसके लिए भुगतान करने हेतु तैयार रहना चाहिए। कुछेक बैंकों ने इस वैयक्तीकृत सेवा के लिए एक मामूली सा शुल्क प्रभारित करना आरंभ कर दिया है। बैंक विविध प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों के माध्यम से अपनी शुल्कगत आय बढ़ाने की ताक में हैं।

बैंकों द्वारा बॉण्ड की हानियों को कम करने, अंतरपणन लाभ अर्जित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की सुविधा का उपयोग

बॉण्ड बाज़ार में हुई हानियों को कम करने के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत उधार लेकर तथा वाणिज्यिक पत्रों (CPs) और खज़ाना बिलों (T-Bills) जैसे अल्पाव धिक ऋण लिखतों में निवेश करके अंतरपणन लाभ अर्जित कर रहे हैं। वाणिज्यिक पत्रों और खज़ाना बिलों के अलावा कई एक बैंकों को निकट भविष्य में परिपक्व होने वाली जमाराशियों का भुगतान करने हेतु अन्य अल्पावधिक लिखतों की आवश्यकता है। ये बैंक ऐसे जमा प्रमाणपत्र (CD) जारी कर रहे हैं, जिनमें कूपन दर सीमांत स्थायी सुविधा दर (10.25%) से कम से कम 125 आधार अंक अधिक है। यह लाभ कमाने का एक अवसर भी है। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत उधारराशियों में अगस्त से बढ़ोतरी हो रही है। बैंकों द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा के अधीन दैनिक औसत उधार 16-31 जुलाई की अवधि में 4,800 करोड़ रुपये की तुलना में 37,000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक रही। प्रणाली में चलनिधि को घटाने तथा मूल्यह्रासित हो रहे रुपये को रोकने के लिए सीमांत स्थायी सुविधा दर 16 जुलाई से पुनर्खरीद (रेपो) दर (7.25%) से 300 आधार अंक बढ़ा कर 10.25% कर दी गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) को भी सीमित कर दिया गया था।

विदेशी बैंक शून्य शेषराशि वाले खाते खोल सकते हैं

अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को शून्य-शेषराशि वाले खाते खोलने की अनुमति दे दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि मूल बचत बैंक जमा खाते (BSBDA) के दिशानिर्देश भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों सहित भारत में परिचालनरत

सभी बैंकों पर लागू होते हैं। मूल बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) योजना के अधीन समाज के कमजोर वर्गों सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में शून्य शेषराशि वाला खाता खोल सकता है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऐसे खाताधारकों को एटीएम कार्ड सुविधाएं प्रदान करें तथा उन्हें सलाह दी गई है कि वे मूल बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) खोलने के लिए आयु एवं आय सम्बन्धी मानदंडों जैसे प्रतिबंध न लागू करें। इस योजना के तहत मुफ्त सेवाओं में नकदी की जमा एवं आहरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से धनराशि की प्राप्ति / जमा अथवा बैंक शा खाओं में चेकों की जमा / वसूली के साथ ही एटीएम कार्डों का समावेश है।

विदेशी छात्रों के मामले में बैंक खाते खोलने के लिए पासपोर्ट पर्याप्त

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी छात्रों के मामले में देश में अनिवासी साधारण (NRO) खाता श्रेणी के तहत बैंक खाते खोलना आसान कर दिया है। पासपोर्ट (उपयुक्त वीसा एवं आप्रवासन पृष्ठांकन स हित) के अलावा शैक्षणिक संस्था से एक प्रवेश पत्र आवश्यक होगा। छात्रों को खाता खोलने के 30 दिन के भीतर स्थानीय पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

जालान पैनल बैंक आवेदकों की छानबीन करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान जनवरी 2014 के अंत तक जारी किए जाने वाले नये बैंकिंग लाइसेंसों के लिए आवेदनों की छानबीन करने हेतु एक बाहरी समिति की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक को नये बैंक स्थापित करने हेतु 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं और वह लाइसेंसों के ऑन-टैप जारी किए जाने पर भी विचार कर रहा है। जालान समिति गवर्नर और इस प्रक्रिया के प्रभारी उप गवर्नर को सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इसके बाद वे भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक समिति के समक्ष एक अंतिम संक्षिप्त सूची प्रस्तुत करेंगे। बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा एवं वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए गवर्नर ने शाखा लाइसेंगि को प्रभावी रूप से अविनियमित करते हुए सुसंचालित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किए ि बना बैंक शाखाएं खोले जाने की अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि, उन बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी 25% शाखाएं बैंक-रहित ग्रामीण केन्द्रों में हों।

पिछले वित्त वर्ष में बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य

कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (SMEs), शिक्षा और आवास उन क्षेत्रों में शामिल हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत आते हैं। घरेलू बैंकों के लिए उनके अग्रिमों के 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना आवश्यक है, जबकि विदेशी बैंकों के लिए यह सीमा उनके कुल अग्रिमों की 32% है। मार्च, 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया अग्रिम 12.82 लाख करोड़ रुपये के रूप में 36.2% था; निजी क्षेत्र के बैंकों का 3.27 लाख करोड़ रुपये के रूप में 37.5% था तथा विदेशी बैंकों द्वारा प्राथ मिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार 84,854 करोड़ रुपये के रूप में 35.1% था। हालांकि, 2012-13 के

दौरान कृषि क्षेत्र को उधार 5.75 लाख करोड़ रुपये से 6.07 लाख करोड़ रुपये के रूप में अधिक रहा, जो मार्च, 2013 के अंत में लक्ष्य का 105.6% था। लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में पिछले वर्ष के मुकाबले 2012-13 में 29.8% की वृद्धि दर्ज हुई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य में कमी वाले सभी बैंकों को ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि में अंशदान हेतु रकमें आबंटित की गई हैं।

विनियामकों के कथन

नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मौद्रिक नीति के लिए संकीर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नयी श्रृंखला कीमतों का सुदृढ़ सांख्यिकीय विशेषण करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। इसमे खाद्य की कीमतों पर अधिक संकेन्द्रण है, जिसका भार 50% है, कीमतों की प्रभावशीलता के बारे में संदेहों के बाद मकान किराया, जिसकी हिस्सेदारी 10% होती है, भी चिंता का करण है। नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में केवल 19 डाटा मदें हैं, जो साखियिकीय रूप से सुदृढ़ विश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ध्यान हटाने का प्रश्न है, डॉ. सुब्बाराव का कहना है कि इस प्रकार की संभावना की स्थिति में भी भारतीय रिज़र्व बैंक उत्पादक की कीमतों को मापने के एक साधन के रूप में थोक मूल्य सूचकांक का परित्याग नहीं करेगा।

प्रारक्षित निधियों को घटाए बिना चालू खाते के घाटे का वित्तीयन किया जा सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन का दावा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में पर्याप्त रूप से कमी लाये बिना इस वित्त वर्ष में देश के चालू खाते के घाटे (CAD) का वित्तीयन कर सकता है। 4 सितम्बर, जब उसने बैंकों द्वारा जमाराशियों एवं उधारों को बढ़ावा देने के लिए नये उपाय लागू किए, से अब तक शीर्ष बैंक की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में 1.4 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि प्रवाहित हुई हैं। हालांकि, यह चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, जो इस वर्ष मार्च तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.8% के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) (FCNR-B) जमारा शियों के माध्यम से 466 मिलियन अमरीकी डालर तथा अदला-बदली सुविधा के माध्यम से 917 मि लयन अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं, जिससे कुल विदेशी मुद्रा अंतर्वाह लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

विदेशी मुद्रा

रुपये के पुनरुत्थान से बाज़ारों में तेजी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार द्वारा स्वाधिकृत तीन तेल कम्पनियों को स्वयं उससे डालर खरीदने की अनुमति दे दी है। ये कम्पनियां डालरों की सबसे बड़ी खरीदार हैं, जिन्हें प्रति माह औसतन 7.5 मिलियन टन कच्चे तेल के आयात के लिए 8-8.5 बिलियन अमरीकी डालर की जरूरत होती है। रुपया, जो 69.80 के ऐतिासिक रूप से निचले स्तर पर बंद हुआ था, सुधर गया और 67.30 पर उद्धत किया जाने लगा। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स उच्चतर स्तर पर खुला और 18, 401.04 पर स्थिर होने तक सकारात्मक क्षेत्र में स्थिर रहा, जो 404.89 अंकों अर्थात् 2.25% की वृद्धि दर्शाता है। 22 अगस्त, जब सूचकांक में 407 अंकों अर्थात् 2.27 % के उछाल के बाद से यह अभिलाभ सर्वाधिक था। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में अपेक्षाकृत व्यापक निफ्टी सूचकांक 124.05 अंक अर्थात् 2.35% बढ कर 5,409.05 पर पहुंच गया। एमसीएस- एसएक्स में एसएक्स40 सूचकांक 10,849.51 पर बंद हुअ, जो 219.46 अंक अर्थात् 2.06% अधिक था।

अक्तूबर, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.62940	0.478	0.767	1.155	1.526
जीबीपी	0.87469	0.8292.	1.1150	1.4447	1.7140
यूरो	0.46929	0.567	0.770	1.000	1.241
जापानी येन	0.40786	0.256	0.293	0.344	0.410
कनाडाई डालर	1.49000	1.473	1.731	2.006	2.236
आस्ट्रेलियाई डालर	2.52140	2.790	3.080	3.390	3.610
स्विस फ्रैंक	0.23640	0.193	0.333	0.515	0.730
डैनिश क्रोन	0.66100	0.8220	1.0410	1.2960	1.5430
न्यूजीलैंड डालर	2.92000	3.453	3.870	4.150	4.373
स्वीडिश क्रोन	1.32600	1.561	1.822	2.105	2.225
सिंगापुर डालर	0.38500	0.580	0.900	1.248	1.550
हांगकांग डालर	0.52000	0.670	0.960	1.310	1.670
एमवाईआर	3.28000	3.400	3.480	3.590	3.750

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**20 सितम्बर, 2013 के दिन**	**20 सितम्बर, 2013 के दिन**

	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	17, 359.2	2 77,,381.5
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	15, 512.2	2 49, 220. 8
ख) सोना	1, 446, 3	21, 724. 1
ग) विशेष आहरण अधिकार	275,4	4, 423.9
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	125.3	2, 012.7

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

बीमा

बीमाकर्ताओं का पर्यवेक्षण करने हेतु इर्डा को पूरा प्राधिकार

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन ने सूचित किया है कि सामान्य और बीमा कम्पनियों तथा विशेष रूप से मध्यवर्ती संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं विनियमन के सम्बन्ध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को सम्पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। इसके प्रवर्तन के अधिकार प्रस्तावित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक में सुदृढ़ बनाए जा रहे हैं। श्री विजयन ने बीमाकर्ताओं द्वारा हमेशा बनाई रखी जाने वाली 150% की शोधक्षमता के उच्च स्तर को देखते हुए वर्तमान जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि, सर्वांगी महत्वपूर्ण बीमा समूहों के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को सुगम बनाने के उद्देश्य से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) एक समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वह वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के साथ घनिष्ठ रूप से मिल कर कार्य कर रहा है।

ई-बीमा अभियान : 5 फर्में सूचना संग्राहक (भंडार) के रूप में काम करेंगी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा 31 जुलाई, 2014 तक बीमा सूचना संग्राहक (Repository) के रूप में कार्य करने हेतु 5 फर्मों यथा - एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, सेन्ट्रल इंश्योरेस रिपॉजिटरी लिमिटेड, सीएएमएस रिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एसएचसीआईएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सहमत कर लिए जाने के परिणामस्वरूप बीमा समूहों के लिए बीमा पॉलि सियों का अंकीकरण (Digitization) अब एक वास्तविकता बन जाएगा। अब बीमाकर्ता पॉलिसीधारकों को उनकी पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने मे समर्थ बनाने के लिए इन संस्थाओं (कम्पनियों) में से किसी एक या उससे अधिक के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। ई-बीमा खाते एक

अनूठी संख्या के साथ रखे जाएंगे। ई-बीमा पॉलिसियों के रिकार्ड जारी किए जाएंगे और वापस भौतिक रूप में परिवर्तित किए जाएंगे तथा अन्य बातों के साथ-साथ पॉलिसीधारकों की एक सूची भी बनाई जाएगी।

रिपॉजिटरियां अपने ग्राहक को जानिए कार्यवधि में समर्थ बनाएंगी : इर्डा

बीमा सूचना संग्राहक (रिपॉजिटरी) प्रणाली के तहत किसी ई-बीमा खाता धारक के लिए पॉलिसी लिए जाने के समय प्रत्येक बार अपने ग्राहक को जानिए (KYC) से सम्बन्धित अतिरिक्त विवरण देना आवश्यक नहीं होगा। वर्तमान में प्रत्येक नयी बीमा सुरक्षा के लिए ग्राहक को अपने ग्राहक को जानिए से सम्बन्धित सूचना नये सिरे से प्रस्तुत करनी होती है, क्योंकि बीमाकर्ता इस सूचना को अपने बीच नहीं बांटते। किन्तु अब पॉलिसियों को अंकीय (डिजिटल) रूप में रखने के लिए बीमा रिपॉजिटरियों की शुरूआत कर दी गई है। ये लाइसेंसशुदा रिपॉजिटरियां बीमा पॉलिसियों से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों को बांटने के लिए बीमाकर्ताओं के साथ एक करार करेंगी।

सूक्ष्मवित्त

अधिकांश सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में पिछले वर्ष उधार में वृद्धि परिलक्षित हुई

70% से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में 2012-13 की पहली और अंतिम तिमाहियों के बीच अपने सकल ऋण संविभाग में वृद्धि दिखाई पड़ी। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का सकल ऋण संविभाग उसी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों के मुकाबले 17% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2013 के दिन 2,013 करोड़ रुपये रहा। शीर्ष पांच राज्यों -आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र - की हिस्सेदारी ग्राहकों की दृष्टि से 60% और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संविभाग की दृष्टि से 59% रही।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य	अधयक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
श्री एस. आर. बंसल	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कारपोरेशन बैंक
श्री मेल्विन रेगो	उप प्रबन्ध निदेशक, आईडीबीआई बैंक
श्री बी. एस. रामा राव	कार्यपालक निदेशक, विजया बैंक
श्री महेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक
श्री अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस	कारपोरेट एजेन्ट के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी 3, 500 से अधिक शाखाओं के माध्यम से रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पाद बेचेगा।
एसबीआई कार्ड्स	एअर इंडिया	सह-ब्रॉण्डयुक्त यात्रा कार्ड की शुरूआत करना। उक्त कार्ड किसी ग्राहक को एअर इंडिया पर 3 दिल्ली-मुंबई वापसी टिकट अर्जित करने हेतु एक वर्ष में 5 लाख रुपये खर्च करने में समर्थ बनाता है।

बासेल III - पूंजी विनियमन

बासेल III पर चर्चा को जारी रखते हुए हम पूंजी आवश्यकताओं पर चर्चा इसके नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :

विनियामक समायोजन / कटौतियां

वे विनियामक समायोजन / कटौतियां / निस्यंदन जो विनियामक पूंजी पर एकाकी और समेकित दोनों ही स्तर पर लागू होंगे निम्नानुसार हैं :

क) सुनाम और अन्य सभी अगोचर आस्तियां टियर-1 के साझी इक्विटी घटक से घटा दी जानी आवश्यक होती हैं।

ख) बासेल-III के तहत आस्थगित कर आस्ति (DTA) जो बैंक की भावी लाभप्रदता पर आश्रित होती है, साझी इक्विटी से केवल ऐसी ही आस्थगित कर आस्तियां (DTA) ही घटाई जानी हैं। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों से एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में साझी इक्विटी टियर-1 पूंजी से सभी आस्थगित कर आस्तियों (DTA) को घटाना अपेक्षित है, उनका मूल चाहे जो भी क्यों न हो।

ग) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षण की आरक्षित निधि की रकम जो उन मदों के प्रतिरक्षण से सम्बन्धित होती है जिनका तुलनपत्र (अनुमानित नकदी प्रवाह सहित) में उचित मूल्यांकन नहीं होता, साझी इक्विटी टियर-1 की गणना में अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए।

घ) आंतरिक रेटिंग आधारित (IRB) दृष्टिकोण में प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधानों के स्टॉक में कमी को साझी इक्विटी टियर-1 की गणना में घटा दिया जाना चाहिए।

ङ) प्रतिभूतिकरण लेनदेनों से सम्बन्धित बिक्री पर लाभ, निर्धारित लाभ पेंशन निधि देयताओं, बैंक के अपने शेयरों में निवेश आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को साजी इक्विटी टियर-1 पूंजी से उपयुक्त रूप से घटा दिया जाना चाहिए।

बासेल-III ढांचा ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने हेतु तीन सुस्पष्ट विकल्प तथा परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने हेतु तीन अन्य विकल्प, अलबत्ता कुछेक आशोधनों / परिवर्धनों के साथ प्रदान करता रहेगा। ऋण एवं परिचालन जोखिमों के लिए ये विकल्प बढ़ती जोखिम संवेदनशीलता पर आधारित हैं तथा बैंकों को एक ऐसा दृष्टिकोण चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं जो बैंक के परिचालनों के विकास के स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त हो। ऋण जोखिम के ि लए पूंजी की गणना करने हेतु उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं :

क) मानकीकृत दृष्टिकोण

ख) आंतरिक रेटिंग पर आधारित बुनियादी दृष्टिकोण

ग) आंतरिक रेटिंग पर आधारित उन्नत दृष्टिकोण

परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की गणना करने हेतु उपलब्ध विकल्प निम्नानुसार हैं :

क) मूल संकेतक दृष्टिकोण (BIA)

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण (TSA) और

ग) उन्नत मापन दृष्टिकोण (AMA)

अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सुसंगति और सामंजस्य बनाए रखने के प्रति रिज़र्व बैंक के ध्येय तथा उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने से बैंकों में उपचित होने वाली संभाव्य पूंजीगत कुशलता को भी ध्यान में रखते हुए 2009 में एक समय-सीमा निर्धारित की गई थी कि भारत में परिचालनरत सभी वाणिज्यिक बैंकों (भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को परिचालन जोखिम के लिए 31/03/2014 तक) आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (बुनियादी और उसके साथ ही उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण, दोनों) अपनाना चाहिए। तदनुसार बैंकों को उन्नत दृष्टिकोणों की ओर स्थानांतरण के लिए उनकी तैयारियों का आंतरिक आकलन करने तथा उनके निदेशक मंडलों / भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के साथ यह निर्णय लेने की सलाह दी गई थी कि वे किसी एक उन्नत दृष्टिकोण की ओर स्थानांरित करना चाहेंगे या नहीं। बैंक उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु किसी उपयुक्त तिथि का चयन कर सकते हैं।

(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक)

बैंकिंग मामलों से सम्बन्धित कानून

बैंक गारंटी

मांग किए जाने पर बैंक गारंटी की रकम का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रतिवादी का तर्क यह था कि मांग गारंटी की शर्तों के अनुसार नहीं थी। यह निर्णय दिया गया कि जहां बैंक गारंटी में उसके लागू किए जाने हेतु शर्तों का प्रावधान हो, वहां शर्तों के पूरी किए जाने पर बैंक गारंटी के अधीन भुगतान न करने हेतु बैंक को सेवा में त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा। [एम.पी. मिनरल्स लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ इंडिया और अन्य -2003 (1) सीआरआर 96 (एनसी)]

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

जोखिम-मूल्य (VAR)

जोखिम-मूल्य एकल संख्या वाली (मुद्रा की रकम) होती है, जो एक निश्चित समय संस्तर (धारिता अव धि) में तथा एक निश्चित विश्वास स्तर पर किसी पोर्टफोलियो की अधिकतम अपेक्षित हानि का अनुमान लगाती है। जोखिम-मूल्य को किसी विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की स्थिति (Position) अथवा आस्ति / देयता अथवा आस्तियों / देयताओं के पोर्टफोलियो में एक निश्चित धारिता अवधि में निश्चितता के एक निश्चित स्तर पर संभाव्य हानि के एक अनुमान के रूप में परिभाषित किया गया है। जोखिम-मूल्य की गणना करने की तीन मुख्य कार्यप्रणालियां निम्नानुसार हैं : पैरामेट्रिक अनुमान - अस्थिरता और सह-सम्बन्ध जैसे प्राचलों का उपयोग करते हुए जोखिम-मूल्य का अनुमान लगाती है। पारंपरिक आ स्तियों और रैखिक व्युत्पन्नियों के लिए यथार्थपरक, किन्तु अरैखिक व्युत्पन्नियों के लिए कम यथार्थपरक। मोन्टे कार्लो अनुरूपण - यादृच्छिक परिदृश्यों को अनुरूपित करके तथा पोर्टफोलियो में विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की स्थितियों (Positions) का पुनर्मूल्यन करके जोखिम मूल्य का अनुमान लगाता है। रैखिक और अरैखिक सभी प्रकार के लिखतों के लिए उपयुक्त। पारंपरिक अनुरूपण - इतिहास को दुहरा कर जोखिम-मूल्य का अनुमान लगाता है, वास्तविक पारंपरिक दरों को लेता है तथा बाज़ार में हुए प्रत्येक परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की स्थि तियों (Positions) का पुनर्मूल्यन करता है।

शब्दावली

विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमाराशियां

जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) खाते विदेशी मुद्रा में अभिहित जमारा शियां होती हैं। इसे किसी ऐसे अनिवासी भारतीय द्वारा खोला एवं रखा जा सकता है, जो भारत से बाहर रहने वाला भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो सकता है। ये खाते पि रवर्तनीय / प्रत्यावर्तनीय होते हैं और तथा विदेशी मुद्रा में मीयादी जमाराशियों के रूप में रखे जाते हैं। वर्तमान में विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमाराशियां अमरीकी डालर, जीबीपी, यूरो, जापानी येन, आस्ट्रेलियाई और कनाडाई डालर में रखी जा सकती हैं। पात्रता, खातों के प्रकारों, अनुमत नामे / जमा प्रविष्टियों, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमाराशियों में धारित निधियों की प्रतिभूति पर ऋणों, अनिवासी भारतीय के नामिती द्वारा निधियों के प्रत्यावर्तन तथा मुख्तारनामा धारक द्वारा संयुक्त धारिता परिचालनों आदि जैसे विविध मामलों से सम्बन्धित प्रावधान इसमें यथा-प्रस्तुत अनिवासी विदेशी (NRE) खातों के जैसे ही हैं।

संस्थान की गतिविधियां

अक्तूबर, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	आवास वित्त पर 4था कार्यक्रम	9 से 11 अक्तूबर, 2013
2	ऋण मूल्यांकन पर 8वां कार्यक्रम (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम	21 से 25 अक्तूबर, 2013
3	अपने ग्राहक को जानिए / धनशोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 3रा कार्यक्रम	21 से 23 अक्तूबर, 2013

सितम्बर, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	विपणन एवं ग्राहक देखरेख पर 4था कार्यक्रम	16 से 20 सितम्बर, 2013
2	सहकारी बैंकों के लिए खज़ाना प्रबन्धन पर कार्यक्रम	23 से 25 सितम्बर, 2013

संस्थान समाचार

विनियामक मार्गदर्शन

अभ्यर्थीगण कृपया इसे ध्यान में रखें कि किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/कों द्वारा उस वर्ष की क्रमश:31 जुलाई और 31 दिसम्बर तक जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों पर ही विचार किया जाएगा ।

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी के लिए ई-शिक्षण

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के सभी अभ्यर्थियों के लिए के लिए अपनी ई-शिक्षण सुविधा जारी रखी गई है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

सूक्ष्म / स्थूल शोध

संस्थान द्वारा वर्ष 2013 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव और सूक्ष्म शोध आलेख आमंत्रित हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ तथा सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। संपर्क कक्षाओं के कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। संस्थान अनुपालन और बैंक प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम के लिए भी कुछ चुनिंदा केन्द्रों में संपर्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान करेगा। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

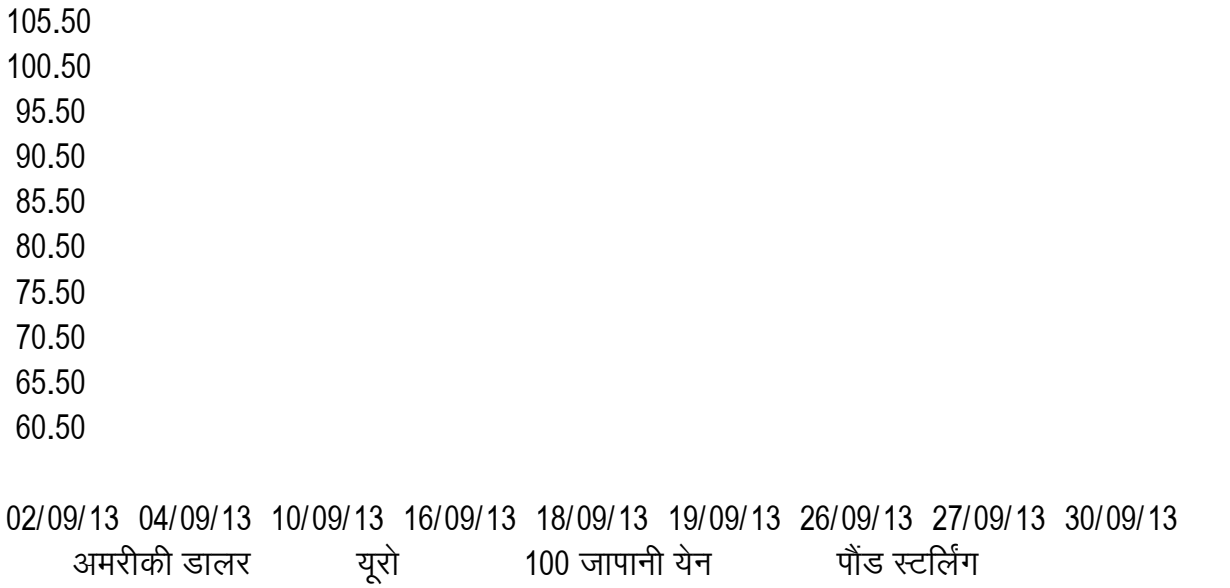

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- इस अफवाह की घबराहटपर्ण प्रतिक्रिया के आधार पर कि अमेरिका ने सीरिया पर इस भय के कारण हमला किया कि तेल की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य है, 3री को भारतीय रुपया मूल्यह्रासित हो कर प्रति डालर 67.30 हो गया।
- 28 अगस्त को 68.85 के अपने अब तक के सर्वाधिक न्यून स्तर पर पहुंच जाने की तुलना में 4थी को रुपया 68.62 के बंद वाले अंत: दिवसीय न्यून स्तर से संभल कर प्रति डालर 67.06 पर पहुंच गया।
- मुख्यत: डॉ. रघुराम राजन के भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में पदग्रहण से उपजे अत्यधिक सकारात्मक उत्साह के कारण 6ठी को रुपये में लगभग 110 पैसे की मज़बूती आई और वह प्रति डालर 65.25 पर बंद हुआ।
- समर के फेड वाली दौड़ से पीछे हट जाने के कारण एक माह के उच्च स्तर पर बढ़ कर 13 वीं को 63.49 के अपने बंद वाले स्तर से तीव्र गति से बढ़ कर आंशिक रूप से परिवर्तनीय रुपया प्रति डालर 62.83 पर बंद हुआ।
- आयातकों से माह के अंत अमरीकी मुद्रा की मांग तथा अमरीकी फेड द्वारा प्रोत्साहन वापस लिये जाने के प्रति चिंता वाली पृष्ठभूमि में 23 वीं को रुपये ने शेयर बाजार का अनुसरण किया तथा डालर के समक्ष 37 पैसे अथवा 0.59% गिर कर 62.60 पर बंद हुआ।
- 30वीं को रुपया कुछ चमक खो कर डालर के समक्ष 62.51 पर बंद हुआ।
- माह के दौरान रुपये में डालर के समक्ष 4.10% की मूल्यवृद्धि हुई।

भारित औसत मांग दरें

13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00

02/09/13 04/09/13 06/09/13 07/09/13 13/09/13 14/09/13 19/09/13 20/09/13 21/09/13 23/09/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, julaZ, 2013

- मांग दरों के 10.04% के न्यून स्तर और 13.48% के उच्च स्तर के बीच घटती-बढ़ती रहने के परिणामस्वरूप माह के पहले 20 दिनों तक मांग बाज़ार को कठिन चलनिधि की स्थिति से गुजरना पड़ा।
- माह के अंत में 20वीं को दरों के 7.65% के न्यून सतर पर पहुंच जाने के परिणामस्वरूप चलनिधि की स्थिति सहज हो गई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000

02/09/13 03/09/13 05/09/13 10/09/13 16/09/13 17/09/13 18/09/13 19/09/13 20/09/13 23/09/13 27/09/13 30/08/13

स्त्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (**BSE**)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अक्तूबर, 2013